

24.7.24

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो. उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज.....  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 8/10/24  
को पेश हों।

30.8.24

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो. उपस्थित  
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज.....  
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 8/10/24  
को पेश हों।

8/10/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में रजिस्टर्ड की तामील शेष है।  
इस हेतु अपीलांत शेष रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस  
आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि  
अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके  
पत्रावली वारंते तलवी रिकार्ड दिनांक 29.11.24 का  
पेश हों।

29.11.24

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पंशी पर हिदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेरल शुमार होकर नम्बर  
के कम होकर बाद तामील वकील दफन हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प सुन्दाय)